

## प्रपत्र-IV

[नियम 13 का उप-नियम (5) तथा नियम 87 का उप-नियम (1) (क) व (2)]  
**सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट**

क्र0 संख्या.....

किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति..... (पता) को प्रस्तुत  
 परिवीक्षा विभाग/राज्य सरकार का सम्बन्धित प्राधिकरण/स्वैच्छिक संगठन.....(हस्ताक्षर  
 व मुहर)

प्रोफाइल संख्या:

धारा : ..... के अधीन

प्रोफाइल का शीर्षक :

थाना :

आरोपित अपराध का स्वरूप :

नाम

धर्म :

पिता का नाम

जाति :

स्थायी पता

जन्म का वर्ष :

पकड़े/पाये जाने से पूर्व अन्तिम पता :

आयु:

लिंग :

विगत में किसी संस्था में रखे जाने/किसी मामले तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो, का  
 इतिवृत्त

### परिवार

परिवार के सदस्य	नाम	आयु	स्वास्थ्य	शिक्षा	व्यवसाय	मसिक आय	विकलांगता	अन्य कोई व्यौरा जैसे कि सामाजिक आदर्श
पिता								
सौतेला पिता								
माता								
सौतेली माता								
भाई—बहन								
अन्य कोई विधिक संरक्षक/नातेदार								

यदि विवाहित हो तो सुसंगत विशिष्टियाँ.....

अन्य नजदीकी रिश्तेदार या इच्छुक अभिकरण.....

धर्म, सामान्य गृह के एवं नैतिक संहिता के प्रति दृष्टिकोण इत्यादि.....

सामाजिक और आर्थिक स्थिति.....

मौजूदा जीवन दशा.....

माता—पिता/माता—पिता व उनके बच्चों विशेषकर अन्वेषणाधीन किशोर/किशोरी के बीच सम्बन्ध.....

अन्य कोई महत्वपूर्ण कारक, यदि कोई हो.....

## किशोर का इतिवृत्त

मानसिक स्थिति  
(मौजूदा और विगत).....

शारीरिक स्थिति  
(मौजूदा और विगत).....

आदतें, शौक  
(नैतिक, मनोरंजन इत्यादि).....

चरित्र एवं व्यक्तिगत की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ.....

साथी और उनका प्रभाव.....

बिना अनुमति के घर छोड़ने का ब्यौरा, यदि कोई हो.....

स्कूल (स्कूल, के अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति किशोर/किशोरी का और उसके प्रति इनका दृष्टिकोण).....

कामकाज का रिकार्ड (किए गये काम, छोड़ने के कारण, व्यवसायिक अभिरुचियाँ, काम या नियोक्ता के प्रति दृष्टिकोण).....

आस पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट.....

घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण और बालक की प्रतिक्रिया.....

अन्य कोई अभियुक्ति.....

## जाँच का परिणाम

भावनात्मक कारक

शारीरिक दशा

बौद्धिक क्षमता

सामाजिक व आर्थिक कारक

धार्मिक कारक

समस्याओं के सम्बन्ध में सुझाए गए विभिन्न कारण

अपचारिता के कारणों सहित मामले का विश्लेषण

जिन विशेषज्ञों से परामर्श किया गया, उनके विचार

उपचार एवं इसकी योजना के सम्बन्ध में परिवीक्षा अधिकारी की सिफारिश